न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/291/2017

उनवान

1. धन सिंह पिता उगम सिंह राजपूत निवासी बदनपुरा हाल मुकाम कल्याणपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. नंदसिंह पिता जेत सिंह राजपूत निवासी बदनपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. कान सिंह पिता किशनसिंह राजपूत निवासी बदनपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 26/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.9.2015
अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का श्रीनगर, तहसील माण्डलगढ के खसरा नम्बर 8 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। समस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात पूर्व में वादी की ही खातेदारी की थी किन्तु वादी ने 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को दिनांक 8.7.1981 को निम्न पडौसियान के मध्य की विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया था। पूर्व में :– आराजी नम्बर 8 का शेष हिस्सा, पश्चिम में :– नंद लाल ब्राह्मण की जमीन व चावण्डिया का रास्ता , उत्तर में :– वादी की अन्य आराजी नम्बर 9 व दक्षिण में :'– वादी की आराजी नम्बर 27 स्थित आराजी आराजी का विक्रय किया गया एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इसी अनुसार कब्जा प्राप्त है।

2. जिसमें वादी का हिस्सा 46/71 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा संयुक्त रूप से 25/71 है। इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। परन्तु उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में सम्मिलित रूप से दर्ज होने के कारण लगान जमा कराने व आये दिन काश्त बाबत सीमा संबंधी विवाद होता रहता है। अतः राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा कर अलग दर्ज खाता किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी करने का आदेश दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.9.2015 को पारित की। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी तथाकथित डिक्री के आधार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर रेस्पोडेण्ट/वादी के नाम पर गलत एवं अवैध तरीके से अभिलिखित की गई आराजियात के संबंध में रेस्पोडेण्ट/वादी ने एक वाद कब्जेयाबी बाबत अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसके सम्मन प्राप्त होते ही अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री धोखास्पद तरीके से बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एवं विधिक प्रकिया का बिना निर्वहन हुई । इस पर अपीलाण्ट प्रतिवादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत दिनांक 15.11.2016 को प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 30.8.17 को उक्त प्रार्थना पत्र के प्रावधान प्रकरण हाजा में लागू न होने के के आधार पर खारिज करते हुए अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए खारिज कर दिया । इस कारण दिनांक 15.11.2016 से दिनांक 30.8.2017 तक के गुजरे समय को विधिक प्रावधानों की गहनता से जानकारी न होने के कारण काबिल समायोजित के है तथा दिनांक 29.9.2015 से दिनांक 15.11.2016 तक का समय जानकारी के अभाव में उपरोक्त वर्णित सद्भाविक कारणों से काबिल कण्डोन के है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एक सामान्य साक्षर व्यक्ति होकर सीमान्त गरीब काश्तकार है जिन्हें न्यायिक प्रकिया एवं विधिक प्रावधानों की समुचित जानकारी नहीं है । अतः अधिनस्थ न्यायालयके आदेश 09 नियम 13 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र गुजरे समय को समायोजित करते हुए एवं दिनांक 29.9.2015 से 15.11.2016 तक के समय को जानकारी के अभाव में कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट प्रतिवादीगण की ओर से कोई किसी प्रकार का वादोत्तर रेस्पोडेण्ट/वादी का अपनी स्वतंत्र सहमति एवं स्वीकृति से प्रस्तुत नहीं किया तथा जो तथाकथित वादोत्तर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है वह अपीलाण्ट/प्रतिवादी की बिना सहमति के प्रस्तुत किया गया है जिस पर अपीलाण्ट प्रतिवादी के कोई किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं है और न ही सत्यापन पर ही अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर ही है। विधि के तहत वादोत्तर पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर होना एवं उनके द्वारा स्वयं सत्यापित किया जाना लाजमी होता है। अधिवक्ता द्वारा सत्यापन कानूनन नहीं किया जा सकता है इस प्रकार तथाकथित वादोत्तर जो प्रारंभ से ही गलत अवैध शून्य था के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने अपने अधिनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु नियुक्त किये अधिवक्ता को कभी भी अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत नहीं किया फिर भी उक्त अधिवक्ता ने अपने स्तर पर ही बिना अपीलाण्ट/प्रतिवादी को सूचित किये अपने ही हस्ताक्षरों से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत कर एक प्रकार से अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के हितों के विरूद्ध कार्य किया है जिसके लिए अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को दण्डित नही किया जा सकता है तथा न ही अधिवक्ता के गलत कार्यो से अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण बाउण्ड ही है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में तनिक भी विचार नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए जवाब दावा लिया जाकर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी एवं साक्ष्य लेकर ही कानूनन निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने रेस्पोडेण्ट/वादी से उसके खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 8 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि सद्भाविक रूप से 16 हजार रूपये के जायज प्रतिफल मे दिनांक 8.7.1981 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.7.1981 के विधिवत विक्रय पत्र के आधार पर क्रयकर साधिकार कब्जा प्राप्त किया । विक्रय पत्र में पडौस भी उल्लेखित किये गये थे। जिसके अनुसार पूर्व में आराजी संख्या 8 का बचत हिस्सा, पश्चिम में :– नंद लाल ब्राह्मण एवं चावण्डिया का रास्ता, उत्तर में :– रेस्पोडेण्ट वादी की आराजी संख्या 9 की भूमि, दक्षिण में :– रेस्पोडेण्ट/वादी की आराज़ी नम्बर 27 की भूमि , उक्त पडौसो के मध्य की आराजी पर ही अपीलाण्ट काबिज चला आ रहा है तदनुसार ही विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे मे तरमीम किया जाना कानूनन लाजमी था व है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर तनिक भी विचार न कर बिना अपीलाण्ट को सुने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने मे विधिक भूल की है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.2015 की पालना में कोई प्रारंभिक डिक्री विधि के तहत अधिनस्थ न्यायालय ने बनाई ही नहीं तथा अपने स्तर पर ही बिना बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये अंतिम डिक्री भी पारित कर दी जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपास्तगी के है तथा पत्रावली पुनः अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अज सिरे नो निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 29.9.2015 की पालना में जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है उसमें संशोधन हेतु रेस्पोडेण्ट/वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत दिनांक 22.12.2015 को प्रस्तुत किया गया । जिसके संबंध मे किसी प्रकार के नोटिस अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को जारी नही कर अपने स्तर पर ही उक्त प्रार्थना पत्र को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए दिनांक 24.12.2015 को स्वीकार करते हुए संशोधित निर्णय एव डिक्री जारीकरने के आदेश दिये जबकि संशोधित निर्णय व डिक्री आदेश पूर्व ही दिनांक 23.12.2015 को ही जारी कर दिया जाना अधिनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली एवं निष्पक्षता पर स्वतः संदेह उत्पन्न कर देता है अर्थात एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोर लापरवाही एवं अनियमितता करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे । साथ ही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादी ने अधिवक्ता को नियुक्त किया था। प्रतिवादीगण को अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहकर प्रकरण के प्रोग्रेस की जानकारी करनी चाहिये थी। अधिनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रदान करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एव संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकित फर्द अहकाम के अनुसार वाद पत्र दिनांक 3.2.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन के जरिये तलब किये जाने के साथ ही आगामी तारीख पेशी 10.3.2014 नियत की गई थी। दिनांक 10.3.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आर एस राठोड द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया । दिनांक 12.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जवाब दावे का अवलोकन किया गया । उक्त जवाब दावे पर अधिवक्ता श्री आर एस राठौड के हस्ताक्षर है। उक्त जवाब दावे पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि जवाब दावा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तथा तस्दीक स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर आवश्यक थे, जिस बिना पर जवाब दावे की त्रुटिरहित व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की स्वीकारोक्ति में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं पढा जा सकता । ऐसे में यह प्रतिपादित होता है कि अपीलाधीन मामले में स्वयं अधिवक्ता प्रतिवादी ने ही जवाब दावा प्रस्तुत किया है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का अपील मेमो में यही निवेदन रहा है कि उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता ने अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर अपने स्तर पर ही जवाब दावा प्रस्तुत किया है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जवाब दावे के कॉलम नम्बर 9 में अंकित है कि वाद पत्र की कॉलम नम्बर 09 स्वीकार है। यहॉ अस्वीकार लिखा जाकर , स्वीकार से पूर्व (अ) को स्याही से छुपाया जाना प्रकट है, जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अथवा प्रतिवादी स्वयं के लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसे में जवाब दावे के कॉलम नम्बर 09 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पढा जाकर उनकी सहमति माना जाना उचित नहीं माना जा सकता। पत्रावली के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

14. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने निर्णय दिनांक 29.9.2015 पारित किये जाने के उपरान्त दिनांक 22.12.2015 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डिक्री व निर्णय में सहवन से क्लीरिकल मिस्टेक से धन सिंह पिता उगम सिंह, नंद सिंह पिता जेत सिंह राजपूत निवासी बदनपुरा हिस्सा धनसिंह का रहन आर आर बी महुआ एवं कान सिंह पिता किशन सिंह राजपूत निवासी बदनपुरा का रहन ए बी आई शाखा माण्डलगढ अंकित कर दिया गया है जबकं जमाबंदी में धनसिंह पिता उगम सिंह का हिस्सा एस बी आई माण्डलगढ एवं नन्द सिह पिता तेजसिंह आर आर बी महुआ एवं कान सिह पुत्र किशन सिंह राजपूत निवासी बदनपुरा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का हिस्सा रहन आर आर बी महुआ दर्ज है। उक्त त्रुटि की वजह से बंटवाडा नहीं हो पा रहा है इसलिए पक्षकारान का हिस्सा जो रहन है जमाबंदी के अनुसार डिक्री व निर्णय में दर्ज किया जावे। आदेशिका दिनांक 24.12.2015 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री में संशोधन किये जाने के आदेश दिनांक 24.12.2015 को पारित किया गया एवं तदनुसार पत्रावली फैसल करने का अंकन किया गया है। अहकाम दिनांक 24. 12.2005 में दिनांक अंकन में कांट–छांट है तथा अहकाम पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं है। जबकि संशोधित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23. 12.2015 को टंकित कर उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है।

15. अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.9.2015 में ''निर्णय व डिक्री अलग से लिखाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ''अंकन किया गया है। इस निर्णय के उपरान्त तहसीलदार को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है। दिनांक 29.9.2015 को जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । उसमें बिना बंटवाडा प्रस्ताव के उभयपक्ष के मध्य भूमि का विभाजन करते हुए आराजियात को अलग–अलग करते हुए राजस्व रेकार्ड में अंकन किये का निर्णय पारित किया गया है। जबकि निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री की पालना में राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम के नियम 18 से 21 की पालना के तहत तहसीलदार से बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया जाता एवं बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कर, यदि बरवक्त बंटवाडा प्रस्ताव किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उसका निस्तारण किया जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिये थी। अपीलाधीन मामले में विधिवत प्रक्रिया का पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.9.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त तनकियात कायम की जावे एवं उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की जावे तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बटवाडा प्रस्ताव तैयार करवाये जाने के उपरान्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जावे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में 03.10.19 दिनांक को उपस्थित रहे।

17. निर्णय आज दिनांक 26.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा